उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-43/2018/157/92-2-2018-18(जॉच)/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 12 मार्च, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

लोहिया समग्र ग्राम तिन्दवारा मौजा परहनपुरवा में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-बांदा द्वारा कराये गये सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब होने व मिट्टी युक्त रेत (बालू/मोरंग) रद्दी किस्म की सीमेन्ट प्रयोग किये जाने तथा के0सी0 ड्रेन/नालियों का निमार्ण मानक, ड्राइंग के अनुसार नहीं कराये जाने आदि अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-98/2017/690/92-2-2017-18(जांच)/2016, दिनांक 20.06.2017 द्वारा श्री श्याम बाबू गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा सम्प्रति प्रखण्ड-ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-1700/92-2-2017-18(जांच)/2016, दिनांक 30.10.2017 द्वारा श्री श्याम बाबू गुप्ता के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र निर्गत करते हुए जांच अधिकारी से नियमानुसार जांच कर जांच आख्या 01 माह में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र अपचारी अधिकारी श्री श्याम बाबू गुप्ता को दिनांक 21.11.2017 को तामील कराते हुए दिनांक 22.12.2017 को व्यक्तिगत सुनवाई/प्रतिपरीक्षण की तिथि निर्धारित करते हुए उपास्थित होने के लिए अपेक्षा की गयी। अपचारी अधिकारी श्री श्याम बाबू गुप्ता द्वारा दिनांक 20.12.2017 को बचाव उत्तर जांच अधिकारी को उपलब्ध कराया गया, किन्तु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपास्थित नहीं हुये। जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 10.01.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप को जांच अधिकारी की जांच आख्या में प्रमाणित नहीं पाया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-98/2017/690/92-2-2017-18(जांच)/2016, दिनांक 20.06.2017 द्वारा श्री श्याम बाबू गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा सम्प्रति प्रखण्ड-ललितपुर के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप प्रमाणित न पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-43/2018/157(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर ।

3- श्री श्याम बाबू गुप्ता, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा सम्प्रति प्रखण्ड-ललितपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।